पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 22.11.2024

विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 09 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक- 21/22.11.2024 को-

01-थाना इन्दिरानगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 295/2024 धारा 331(4)/305(a)/317(2)/61(2) BNS से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों 01-जमाल उर्फ जमाली 02-मो0 फूलचॉद अली 03-रफीकुल इस्लाम 04-मुफीस

02-थाना पारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 538/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/351(3)/117(2)/309(6)/109(1) BNS से सम्बन्धित 02-अभियुक्तों 01-अभय विश्वकर्मा 02-शंकर उर्फ शंकर गुप्ता

03-थाना पीजीआई में पंजीकृत मु0अ0सं0 मु0अ0स0 729/24 धारा 303(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त रवि राज

04-थाना सरोजनीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 मु0अ0सं0- 371/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 01-सुरेश कुमार कश्यप उर्फ करन कश्यप 02-रोहित सिंह गिरफ्तार।

जोन-उत्तरी

थाना बीकेटी-

दिनांक 22.11.2024 समय करीब 04.27 बजे वादी श्री परशुराम पुत्र स्व0 कल्लूराम निवासी देवरी रूखारा थाना बीकेटी, लखनऊ ने थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया जिसमें दिनांक 21.11.2024 को सुबह वादी के गाँव का मायाराम वादी के भाई अर्जुन सिंह के पास एक मोबाइल फोन गिरवी रखकर पैसा जुआ खेलने के लिए ले गया था।

समय करीब शाम 06.00 बजे को वादी का भाई परचून का सामान लेने लुहारन पुरवा गया था, वही मायाराम पुत्र हेमा, गोविन्द पुत्र सुन्दर लाल व मोनू पुत्र विश्वनाथ निवासी देवरी रूखारा सभी शराब पी रहे थे, वादी के भाई बिना पैसे दिये मोबाइल फोन वापिस लेने के लिए झगड़ा करने लगे वहां से वादी का भाई किसी तरह बचकर साइकिल से गाँव की तरफ आ रहे थे।

वादी को पूरा शक है कि इन लोगों ने रास्ते ही गाँव से पहले ही वादी के भाई को पकड़कर मार दिया, जिसकी सूचना गाँव के लोगो ने वादी को दी, वादी और वादी के घर वाले मौके पर पहुंचे तो वादी के भाई अर्जुन सिंह उपरोक्त की मौक पर ही मृत्यू हो गयी थी, उसके गहरी चोट थी जिससे खून बह रहा था। तथ्य अंकित है। **वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बीकेटी पर मु0अ0सं0 358/2024 धारा 103(1) बीएनएस बाइस्तवा 01-मायाराम, 02-गोविन्द व 03-मोनू के विरूद्ध पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन व सीसीटीवी फुटेज चेक कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है।**